कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या–30599(1-75) / टास्क फोर्स–2(TC-2) / ई–लॉटरी / 2024–25 लखनऊःदिनांक मार्च 04,2025

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**दिनांक 06.03.2025 को होने वाली ई–लॉटरी के प्रथम चरण के लिए ई–लॉटरी स्थल में प्रवेश हेतु आवेदक के स्थान पर अधिकृत प्रतिनिधि को प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश संख्या–30306–30381 / टास्क फोर्स–2 / ई–लॉटरी / 2024–25 / दिनांक 28.02.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, भांग की दुकानों तथा मॉडल शॉप्स की दिनांक 06.03.2025 को सम्पन्न होने वाली ई–लॉटरी के प्रथम चरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये। इस आदेश के प्रस्तर–20 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि ई–लॉटरी के सम्पूर्ण स्थल परिसर में केवल आवेदक द्वारा प्रवेश किया जायेगा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। यह ज्ञातव्य है कि किसी भी आवेदक द्वारा प्रदेश में किसी भी दुकान के लिए आवेदन किया जा सकता है। अतः व्यवहारिक रूप से आवेदकों के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह स्वयं सभी जनपदों में ई–लॉटरी के दौरान उपस्थित रह सके।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या–30306–30381 / दिनांक 28.02.2025 के प्रस्तर–20 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि यदि किसी आवेदक द्वारा किसी जनपद हेतु आवेदन किया गया है और वह उस जनपद के ई–लॉटरी स्थल पर दिनांक 06.03.2025 को स्वयं उपस्थित नहीं रह सकता है तो उसके स्थान पर उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। इस हेतु आवेदक को इस आदेश के साथ संलग्न प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) को युक्ति–युक्त ढंग से भर कर अधिकृत प्रतिनिधि का फोटो चस्पा कर एवं अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित कर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में या दिनांक 06.03.2025 को ई–लॉटरी परिसर में जिला आबकारी अधिकारी को ई–लॉटरी आरम्भ होने से विलम्बतम् दो घण्टे पूर्व दो प्रतियों में उपलब्ध कराना होगा। एक प्रति आवेदक स्वयं रख कर अधिकृत प्रतिनिधियों को ससमय हस्तगत करेगा तथा दूसरी प्रति जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगी। प्राधिकार पत्र के साथ आवेदक को पोर्टल जनरेटेड आवेदन पत्र की प्रति तथा अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान–पत्र की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।

स्पष्ट किया जाता है कि एक आवेदक द्वारा एक जनपद हेतु केवल एक ही अधिकृत प्रतिनिधि नामित किया जा सकता है एवं उसी जनपद हेतु प्रतिनिधि को नामित किया जा सकता है, जिसमें आवेदक द्वारा दुकान हेतु आवेदन किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी एक जनपद के ई–लॉटरी कक्ष में आवेदक या उसके प्रतिनिधि में से केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। दिनांक 06.03.2025 को ई–लॉटरी कक्ष में प्रवेश हेतु आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं मोहर युक्त प्राधिकार पत्र / Authorization Letter तथा पहचान–पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। जिला आबकारी

अधिकारी 06.03.2025 को समस्त प्राधिकार पत्रों की द्वितीय प्रति ई–लॉटरी कक्ष में अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि विवाद की स्थिति में अधिकृत प्रतिनिधि की पहचान की जा सके।

संलग्नकः–यथोक्त।

(डा0 आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या– /टास्कफोर्स–2(TC-2)/ई–लॉटरी/2024–25 लखनऊःतद्दिनांक।

प्रतिलिपि–

1–प्रमुख सचिव (आबकारी) उत्तर प्रदेश, शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3–समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5–संयुक्त आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रेस नोट निर्गत करवायें।

6–समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन/उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7–समस्त जिला आबकारी अधिकारी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

8–श्री संजय यादव–द्वितीय, सहायक आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स को इस निर्देश के साथ कि उक्त की प्रति ई–लॉटरी व्यवस्थापन Website तथा विभाग की Website पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डा0 आदर्श सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 06.03.2025 को होने वाली ई–लॉटरी के प्रथम चरण के लिये ई–लॉटरी स्थल में आवेदक के स्थान पर अधिकृत प्रतिनिधि के प्रवेश हेतु प्राधिकार पत्र(Authorisation Letter)

मैं, आवेदक का नाम.. दुकान का नाम.. दुकान का प्रकार..दुकान की आई0डी0.....................................आवेदन संख्या/पंजीकरण संख्या...ई–लॉटरी के प्रथम चरण में प्रतिभाग किये जाने हेतु जनपद...के ई–लॉटरी स्थल पर प्रवेश किये जाने हेतु श्री/सुश्री ....(पहचान पत्र प्रकार..................................सं0...) को अधिकृत करता/करती हूँ। यह व्यक्ति मुझ आवेदक के स्थान पर उपस्थित रहेंगे।

अधिकृत प्रतिनिधि का रंगीन फोटो

अधिकृत प्रतिनिधि के प्रमाणित हस्ताक्षर

(   )

आवेदक का नाम तथा तिथि सहित हस्ताक्षर

जिला आबकारी अधिकारी का नाम एवं मोहर

अनिवार्य संलग्नकः

1. आवेदक की पोर्टल से निर्गत आवेदन पत्र की प्रति।
2. अधिकृत प्रतिनिधि के पहचान प्रमाण–पत्र की प्रति।

नोटः यह प्राधिकृत पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। इसकी एक प्रति जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय अपने पास स्वयं सुरक्षित रखेंगे एवं ई–लॉटरी कक्ष में दिनांक 06.03.2025 को लेकर आयेंगे तथा एक प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मोहर सहित आवेदक को उपलब्ध करायेंगे।